रघुवीर बनाम रामधन वगै

मु.नं. 74/2024(दावा)

दिनांकः 02.09.2024

आज प्रत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादी के वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बरीतकी तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खेवट खतौनी संख्या 91 के खसरा नम्बर 194/3, 301/3, 303/2, 304/2 कुल किता 4 कुल रकबा 0.48 हैक्टर व खाता सं. 101 के खसरा नम्बर के खसरा नम्बर 194/2, 194/4, 301/; 301/4, 303/1, 303/3, 304/1, 304/3 कुल किता 8 कुल रकबा 1.26 व खाता सं. 90 के खसरा नम्बर 194/1, 301/1 कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी की आराजी है जिसे मनवट के आधार पर काबिज काश्त होकर फसल दरोह करते चले आ रहे है। प्रतिवादी नं. 1 बदमाश एवं झगडालू प्रवृति का व्यक्ति है जो आये दिन झगडा फसाद करता रहता है। दिनांक 28.05.2024 को प्रतिवादी स्वयं व 8–10 बदमाश व्यक्तियों के साथ हाथों में लाठी, डण्डा,फरसा व कुल्हाडी लेकर मौके पर आ गये और वादी की कब्जेशुदा खेत में आकर ट्रेक्टर से जोत निकालने लगे। वादी ने इन्हें समझाया लेकिन भडकक गये तथा मारने पीटने पर आमादा हो गये। बाद में कब्जा करने की धमकी देकर चले गये। यदि आराजी को रहन, बेचान कर दिया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति इन टर्म्स ऑफ मनी भी संभव नहीं हो सकेगी। इसलिये वादी को यह दावा बावत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिम आया है। अतः प्रतिवादी का दावा डिकी फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

वादपत्र दर्ज रस्टिर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित आये तथा प्रतिवादी सं 2 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11 जा0दी0 इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य वाद पत्र मु.नं. 142/2012 दिनांक 30.07.2018 को विभाजन कर निर्णय व डिक्री अंतिम रूप से निर्धारित हो चुका है। जब एक ही विषय वस्तु व समान पक्षकारों के मध्य मुकदमा का फैसला हो चुका है तो पुनः वाद नहीं चल सकता। अतः वाद खारिज फरमाया जावें।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी की ओर से इस न्यायालय के निर्णय/डिक्री दिनांक 30.07.2018 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी जिसके अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रतिवादी रामधन की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद संख्या 142/2012 उनवानी रामधन बनाम रघुवीर प्रस्तुत किया गया था। किन्तु वादी की ओर से यह वाद मु.नं. 74/2024 पुनः प्रस्तुत कर दिया गया है। निर्णित वाद संख्या 142/2012 उनवानी रामधन बनाम रघुवीर व प्रकरण हाजा के पक्षकार व विषय वस्तु समान होने के कारण जा0दी0 की धारा 11 के प्रावधान पूर्णतया लागू होते है। ऐसी स्थिती में वादी का वाद पुनः चलने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः वादीग का वाद बाबत भूमि खसरा नम्बर ग्राम बरीतकी तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खेवट खतौनी संख्या 91 के खसरा नम्बर 194/3, 301/3, 303/2, 304/2 कुल किता 4 कुल रकबा 0.48 हैक्टर व खाता सं. 101 के खसरा नम्बर 194/2, 194/4, 301/2, 301/4, 303/1, 303/3, 304/1, 304/3 कुल किता 8 कुल रकबा 1.26 व खाता सं. 90 के खसरा नम्बर 194/1, 301/1 कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टर जा0दी0 की धारा 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा